फाइल संख्या 16/24/2016-इनफ्रा-1
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
इनफ्रा-I अनुभाग
***

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 24 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : भारत में आईसीडी, सीएफएस और एएफएस की स्थापना के प्रस्तावों तथा एलओआई की अवधि बढ़ाने के मामलों पर विचार करने के लिए 18 अक्टूबर, 2016 को अपराह्न 12:15 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का हवाला देने तथा अनुशीलन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर, 2016 को अपराह्न 12:15 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(बी प्रवीण)
निदेशक (इनफ्रास्ट्रक्चर)
टेलीफोन नंबर : 23062704
फैक्स : 23063418
ईमेल : b.praveen@nic.in

सेवा में

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड {श्री एल सत्या श्रीनिवास, संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क)}, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23093475, ईमेल : jscus@nic.in
2. रेल मंत्रालय {श्री अजय बहेरा, कार्यपालक निदेशक (टीटीएस)}, रेल भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23303668 और 23383506, ईमेल : edtts@rb.railnet.gov.in,
3. पोत परिवहन मंत्रालय {श्री आर के अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एसएम), पोत परिवहन विभाग, परिवहन भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर 23328549, ईमेल: rabindra.a@ias.nic.in
4. नागर विमानन मंत्रालय (डा. रेनू सिंह परमार, वरिष्ठ सलाहकार), राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली, टेलीफैक्स : 24629322 ईमेल : eco-adv.moca@nicJn
5. पोत परिवहन मंत्रालय (श्री डी के राय, उप सचिव), पोत परिवहन विभाग, परिवहन भवन, नई दिल्ली, फैक्स नंबर : 23328549, ईमेल : dkrai@nic.in
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड डॉ शैफाली जी सिंह, अवर सचिव (सीमा शुल्क) राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, ईमेल : shaifali.sirl9.b@icegategov.in

प्रति प्रेषित : अपर सचिव (एकेबी) के निजी सचिव / संयुक्त सचिव (एससी) के निजी सचिव / निदेशक (बीपी) के निजी सचिव, अवर सचिव (आरआरके)

वाणिज्य विभाग

इनफ्रा-Iअनुभाग

*****

आईसीडी / सीएफएस / एएफएस स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर, 2016 को आयोजित अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक का कार्यवृत्त

भारत में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) और एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री ए के भल्ला, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 18 अक्टूबर, 2016 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में अंतर्मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :

1. श्री संजय चड्ढा, संयुक्त सचिव (इनफ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
2. श्री बी प्रवीण, निदेशक (इन्फ्रास्ट्रक्चर), वाणिज्य विभाग
3. श्री डी के राय, निदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय
4. श्री रवि शेखर, ओएसडी (टीटी), रेल मंत्रालय
5. डा. शेफाली जी सिंह, अवर सचिव, सीबीईसी, राजस्व विभाग
6. श्री आर राजाकन्नू, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
7. श्री एम रामा प्रताप, अनुभाग अधिकारी, इनफ्रा-I अनुभाग

2. चर्चा शुरू करते हुए आईएमसी के अध्यक्ष ने आईएमसी के पिछले निर्णय को दोहराया कि जिन मामलों में आईएमसी ने संबंधित मंत्रालय की आईएमसी के सदस्य की लंबित औपचारिक टिप्पणियां प्राप्त कर ली हैं और विकासक ने सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं उनको आईएमसी की अगली बैठक की प्रतीक्षा के बगैर औपचारिक टिप्पणियों की प्राप्ति पर प्रोसेस किया जा सकता है और फाइल पर क्लियर किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि पुष्टि के लिए यह आईएमसी की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.1 नागर विमानन मंत्रालय नंबर कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/4/2014-ईआर(भाग), दिनांक 17 अक्टूबर 2016 के माध्यम से बताया है कि नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार और इस मामले को देखने वाले निदेशक के व्यस्त होने के कारण उक्त बैठक के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना संभव नहीं है। तथापि, उन्होंने आईसीडी / सीएफएस / एएफएस की स्थापना से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर लिखित निवेदन प्रस्तुत किया है।

2.2 अध्यक्ष ने निर्धारित किया कि सभी आस्थगित प्रस्ताव जहां आईएमसी के एक या दो सदस्यों की टिप्पणियां लंबित हैं और विकासक ने दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रदान किए हैं, ऐसे विकासकों को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए।

I. 8 जुलाई 2016 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

आईएमसी ने 08 जुलाई, 2016 को आयोजित आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

II. पुष्टि के मामले (4)

एजेंडा नंबर 01

खापरी गांव, नागपुर, महाराष्ट्र के मिहान क्षेत्र में कोंकोर द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) / मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थापना (फाइल संख्या 16/26/15-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 1 अगस्त 2016 को कोंकोर को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 02

नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में मैसर्स कोंकोर द्वारा मल्टीमाडल लाजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) में इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना (फाइल संख्या 16/31/2015-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 4 अगस्त 2016 को कोंकोर को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 03 :

76-77, ग्राम कापसहेड़ा, नई दिल्ली में मैसर्स कंटीनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन (एएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 23/02/2015-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 8 अगस्त 2016 को कंटीनेंटल कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए मंशा पत्र (एलओआई) की पुष्टि की।

एजेंडा नंबर 04

झरसूगुडा, ओडिशा में मैसर्स कोंकोर द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/29/2014-इनफ्रा-1)

आईएमसी ने 13 सितंबर, 2016 के बाद 03 माह की अवधि के लिए अर्थात 13 दिसंबर, 2016 तक एलओआई की अवधि बढ़ाने की पुष्टि की।

08 जुलाई, 2016 को आयोजित पिछली आईएमसी बैठक के आस्थगित प्रस्ताव (14)

एजेंडा नंबर 05 : (आस्थगित प्रस्ताव)

उड़ान, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स न्हावा शेवा सीएफएस एंड एग्रीपार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 2014 को प्राप्त प्रस्ताव (फाइल संख्या 16/20/2014-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

एजेंडा नंबर 06 : (आस्थगित प्रस्ताव)

गट नंबर 55, ग्राम खर्नी, एमआईडीसी, तलोजा, जिला रायगढ़, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मैसर्स एसबीडब्ल्यू लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मौजूदा सीएफएस में एक एएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 23/01/2015-इनफ्रा 1)

प्रस्तावित स्थान पर एएफएस की स्थापना के लिए मामले को प्रस्तुत करने हेतु विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया।

आईएमसी के सभी चार सदस्यों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

रेल मंत्रालय ने पत्र संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 16 मार्च 2015 के माध्यम से अपनी अनापत्ति प्रदान की है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्र संख्या पीडी-14033/23/15-पीडी-V दिनांक 20 जनवरी 2015 के माध्यम से इस शर्त के अधीन अपनी अनापत्ति प्रदान की है कि उनके सीएफएस पर कंटेनर की हैंडलिंग तथा कंटेनर प्रचालन से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने वाले हितधारकों की सेवाएं प्रभावित न हों। विकासक को पत्र दिनांक 6 मई 2015 के माध्यम से एएफएस की स्थापना के बाद भी सीएफएस के प्रचालन के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/37/2015-ईआर दिनांक 7 सितंबर 2016 के माध्यम से अपनी अंतिम टिप्पणियों में अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराया है कि एएफएस द्वारा निर्यात एवं आयात कार्गो दोनों की हैंडलिंग के लिए एरिया 2000 वर्गमीटर से कम है। एएआई द्वारा साइट विजिट में इसकी पुष्टि की गई है तथा प्रस्ताव को ड्राप करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि विकासक ने कम क्षेत्रफल पर स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया है।

सीबीईसी ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/03/2015-सीमा शुल्क-IV के माध्यम से आईएमसी की बैठक में अपनी टिप्पणियां प्रदान की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में मौजूदा सीएफएस में एएफएस की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है। केवल ग्रीन फील्ड एएफएस सुविधा या मौजूदा आईसीडी में एएफएस स्थापित करने का प्रावधान है। राजस्व विभाग की यह राय है कि एएफएस केवल मौजूदा आईसीडी में स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि एयर साइड पर एएफएस आईसीडी के समान हैं जबकि सीएफएस आईसीडी का सहायक है। तद्नुसार उपर्युक्त प्रस्ताव सीबीईसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय तथा सीबीईसी की टिप्पणियों के विशेष संदर्भ में आईएमसी की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को छोड़ दिया जाए और विकासक प्रस्ताव तैयार करते समय सीबीईसी के सरोकारों का विधिवत रूप से संज्ञान ले।

एजेंडा नंबर 07 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम मरानायकनहल्ली, तालुक अनेकल, बेंगलुरू, कर्नाटक में मैसर्स डिस्ट्रीब्यूशन लाजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम मैसर्स विक्रम लाजिस्टिक्स एंड मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था) द्वारा रेल लिंक्ड आईसीडी की स्थापना (फाइल संख्या 16/14/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने बताया कि प्रस्ताव को रोड आधारित परियोजना से रेल आधारित परियोजना में परिवर्तित किया गया है तथा क्षेत्रफल को शुरू में 45 एकड़ से घटाकर 14 एकड़ किया गया है। विकासक द्वारा सूचित किया गया कि कंटेनर के साथ ट्रेलर राज्य और राष्ट्रीय हाइवे पर मूव करेंगे।

आईएमसी की यह राय थी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित सड़क आधारित आईसीडी बेंगलुरू के निकट स्थित है जो घनी आबादी वाला शहर है तथा विकसित औद्योगिक क्षेत्र है इसलिए ट्रैफिक की मात्रा बहुत अधिक हो सकती है जिससे भीड़-भाड़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य सरकारों की टिप्पणियां मंगाई जानी चाहिए।

8 सितंबर 2016 को परिचालित संशोधित प्रस्ताव पर आईएमसी के सदस्यों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिए प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 08 : (आस्थगित प्रस्ताव)

बय्यावरम गांव, कासिम कोट्टा मंडल, विशाखापट्टनम में मैसर्स विशाखा सीएफएस एंड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना (फाइल संख्या 16/2022015-इनफ्रा-1)

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 16026/164/15-ईआर दिनांक 9 सितंबर 2015 में बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है और यह कि प्रस्तावित सीएफएस से एयर कार्गो की प्रोसेसिंग की संभावना पर भी प्रमोटर द्वारा विचार किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 29 अक्टूबर 2015 के माध्यम से बताया है कि चूंकि यह परियोजना सड़क आधारित है इसलिए उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी है और इसलिए कोई आपत्ति नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/15-पीडी-V दिनांक 3 दिसंबर 2015 में प्रस्ताव का समर्थन किया है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/09/2015-सीमा शुल्क-IV दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के माध्यम से अपनी सहमति से अवगत कराया है।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 09 : (आस्थगित प्रस्ताव)

मौजूदा सीएफएस दिघी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स डायनेमिक लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना (फाइल संख्या 23/04/2015-इनफ्रा-I)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। सीबीईसी की टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक ने अभी तक प्रस्तावित साइट के लिए सीएलयू प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार, प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 10 (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम डिघोडे, तालुक उड़ान, रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स स्किल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/24/2015-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक ने अभी तक प्रस्तावित साइट के लिए पूर्ण सीएलयू प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 11 : (आस्थगित प्रस्ताव)

पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स सप्लाई चेन लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेस्ट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना (फाइल संख्या 16/23/2015-इनफ्रा-I)

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-16026/164-ईआर दिनांक 9 सितंबर 2015 में बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 26 अगस्त 2015 के माध्यम से बताया है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/2015-पीडी-V दिनांक 8 सितंबर 2016 के माध्यम से यह कहते हुए अपनी संशोधित टिप्पणियां प्रस्तुत की है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/10/2015-सीमा शुल्क-IV दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के माध्यम से प्रस्ताव के लिए अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 12 : (आस्थगित प्रस्ताव)

फतेहपुर गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स एस वी मल्टी लाजीटेक द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/28/2015-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। सीबीईसी की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार, प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 13 : (आस्थगित प्रस्ताव)

सर्वे नंबर 1/3 बी 3, पल्लीकट रोड, कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर, चेन्नई में मैसर्स अपोलो वर्ल्ड कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/37/2015-इनफ्रा-1)

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2014/टीटी-III/99/2 दिनांक 4 जनवरी 2016 में बताया है कि परियोजना पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, आईएमसी का ध्यान चेन्नई क्षेत्र में सीएफएस की बहुलता और सड़कों पर परिणामी भीड़-भाड़ की मौजूदा समस्या की ओर आकृष्ट किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 16026/3/16-ईआर दिनांक 02 फरवरी 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है और यह कि प्रमोटर द्वारा प्रस्तावित सीएफएस से एयर कार्गो की प्रोसेसिंग की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/15- पीडी-V दिनांक 16 अगस्त 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/27/2015-सीमा शुल्क-IV दिनांक 5 अक्टूबर 2016 के माध्यम से प्रस्ताव के लिए अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है।

विकासक ने पोन्नेरी तालुक के तहसीलदार द्वारा जारी किए गए पत्र संदर्भ संख्या 187/2016/01 दिनाम 1 फरवरी 2016 के माध्यम से सीएलयू प्रस्तुत किया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि यह शुष्क भूमि है तथा कई वर्षों से कृषि के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिए प्रमाणित किया गया है कि भूमि के प्रयोग को गैर कृषि के रूप में परिवर्तित किया गया है और यह भी प्रमाणित किया गया है कि भूमि का प्रयोग कंटेनर फ्रेट स्टेशन के रूप में किया जाएगा।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद और जारी किए गए भूमि प्रयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापन के अधीन आईएमसी सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद फाइल पर मामले को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

एजेंडा नंबर 14 : (आस्थगित प्रस्ताव)

ग्राम भंबोली, तालुक खेड, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एपीएम टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/38/2015-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है।

एजेंडा नंबर 15 : (आस्थगित प्रस्ताव)

वीरमगांव, जिला अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/04/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है।

एजेंडा नंबर 16 : (आस्थगित प्रस्ताव)

हजीरा पोर्ट के पास, हजीरा, गुजरात में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/07/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है।

एजेंडा नंबर 17 : (आस्थगित प्रस्ताव)

खिडीरपुर, कोलकाता में मैसर्स ट्रांस वर्ल्ड टर्मिनल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/08/2016-इनफ्रा-1)

रेल मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 25 अप्रैल 2016 में अपनी अनापत्ति प्रदान की है।

नागर विमानन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/9/2016-ईआर दिनांक 17 मई 2016 में बताया है कि प्रदान करने के लिए उनके पास कोई टिप्पणी नहीं है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-11020/18/16-केओपीटी दिनांक 28 जून 2016 में बताया है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/06/2016-कस्टम-IV दिनांक 5 अक्टूबर 2016 में प्रस्ताव के लिए अपने सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना प्रदान की है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि चूंकि सीबीईसी उन एजेंसियों में से एक है जो आईएमसी की बैठक में भाग लेता है, आईएमसी के दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमसी का अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और यह कि इसके बाद ही सीबीईसी कस्टम स्टाफ की आवश्यकता के बारे में आवेदक को सूचना प्रदान करेगी।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आईएमसी ने मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

एजेंडा नंबर 18 : (आस्थगित प्रस्ताव)

मीलावट्टम गांव, हार्बर एक्सप्रेस हाई रोड, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में मैसर्स एएलएस तूतीकोरीन टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/16/2016-इनफ्रा-I)

विकासक ने आईएमसी की बैठक में संशोधित सीएलयू प्रस्तुत किया है। सीएलयू में इस बात का उल्लेख है कि सीएफएस की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि शुष्क भूमि है और भूमि के प्रयोग को गैर कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया है और यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि भूमि का प्रयोग कंटेनर फ्रेट स्टेशन के रूप में किया जाना है।

रेल मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 2016/टीटी-III/99/2 दिनांक 29 जून 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या एवी-29012/59/16-ईआर दिनांक 6 जुलाई 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पीडी-14033/23/2016-पीडी-V दिनांक 19 अगस्त 2016 के माध्यम से अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

सीबीईसी ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 434/08/2016-सीमा शुल्क-IV दिनांक 6 अक्टूबर 2016 के माध्यम से प्रस्ताव के लिए अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि चूंकि सीबीईसी उन एजेंसियों में से एक है जो आईएमसी की बैठक में भाग लेता है, आईएमसी के दिशानिर्देशों के अनुसार आईएमसी का अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और यह कि इसके बाद ही सीबीईसी कस्टम स्टाफ की आवश्यकता के बारे में आवेदक को सूचना प्रदान करेगी।

विकासक ने थूथूकुडी के तहसीलदार द्वारा जारी किए गए पत्र संदर्भ संख्या के डिस/सीबीडी/7235/16 दिनांक 17 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सीएलयू प्रस्तुत किया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि शुष्क भूमि गैर कृषि भूमि है और भूमि के प्रयोग को गैर कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया गया है और यह भी प्रमाणित किया गया है कि भूमि का प्रयोग कंटेनर फ्रेट स्टेशन के रूप में किया जाएगा।

आईएमसी के सदस्यों की सभी अनुकूल टिप्पणियों पर विचार करने के बाद और जारी किए गए भूमि प्रयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापन के अधीन आईएमसी सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद फाइल पर मामले को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

III. नए प्रस्ताव : (7 प्रस्ताव)

एजेंडा नंबर 19 (नया प्रस्ताव)

किला रायपुर, जिला लुधियाना, पंजाब में मैसर्स अडानी लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/12/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी से टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, विकासक को भूमि जिस पर आईसीडी प्रस्तावित है, के लिए स्वत्त विलेख, लेआउट, वर्कशीट, वचन पत्र, स्पष्टीकरण आदि प्रस्तुत करना है जिनकी वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 18 जुलाई 2016 में मांग की गई है।

एजेंडा नंबर 20 : (नया प्रस्ताव)

सुरारेड्डी पलेम, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एएस शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनलैंड कंटेनर डीपो (आईसीडी) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/15/2016-इनफ्रा-I)

सीबीईसी तथा रेल मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जैसे कि सीएलयू, वचन पत्र, लेआउट आदि की जांच की जा रही है। विकासक को पूर्ण सीएलयू प्रस्तुत करना है। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 21 : (नया प्रस्ताव)

दक्षिण 24 परगना जिला, वाट्टगुज, सोनापुर रोड, कोलकाता में मैसर्स आल कार्गो लाजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/19/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जैसे कि सीएलयू, साइट लेआउट आदि की जांच की जा रही है। इस प्रकार, प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 22 : (नया प्रस्ताव)

रेवेन्यू सर्वे नंबर 221, ग्राम भोरारा, तालुक मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स आर्गस कंटेनर फ्रेट स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस तथा बांडेड वेयरहाउस सुविधा की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/17/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकासक को भूमि प्रयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 23 : (नया प्रस्ताव)

17/1 और 2, कन्नेकल्लू गांव, होसकोट तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में मौजूदा सीएफएस में मैसर्स मैरीगोल्ड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 23/02/2016-इनफ्रा-I)

विकासक से एएफएस स्थापित करने के लिए सीएफएस को आईसीडी में परिवर्तित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है क्योंकि उनके पास कुल 10 एकड़ भूमि है और सीएफएस में एएफएस की स्थापना संभव

नहीं है। विकासक तद्नुसार प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगा। तथापि, सीबीईसी, नागर विमानन मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय से मूल प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 24 (नया प्रस्ताव)

नंबर 5, अरियालूर गांव, माधावरम तालुक, चेन्नई में मैसर्स सबरी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/20/2016-इनफ्रा-I)

सीबीईसी, नागर विमानन मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अलावा, विकासक से सीएलयू प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

एजेंडा नंबर 25 (नया प्रस्ताव)

काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फार्चुना पोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए आवेदन (फाइल संख्या 16/23/2016-इनफ्रा-1)

सीबीईसी तथा पोत परिवहन मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 28 सितंबर 2016 के जवाब में विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस प्रकार प्रस्ताव आस्थगित हो गया है।

IV. एलओआई की अवधि बढ़ाने के मामले (07 मामले)

एजेंडा नंबर 26

रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स सास्था वेयरहाउसिंग लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/28/2013-इनफ्रा-1)

पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2016 के माध्यम से विकासक से 9 माह की अवधि के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

उन्होंने यह भी बताया है कि भारी बरसात के कारण साइट पर कार्य रुका पड़ा है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 10 सितंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 10 मार्च 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 27

कलमासेरी, कोच्चि, केरल में मैसर्स पेरियार केमिकल्स लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/26/2011-इनफ्रा-1)

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। आईएमसी को यह भी बताया गया है कि पिछली बैठक में भी किसी ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा, नोट किया गया कि हालांकि 2013 में मंशा पत्र (एलओआई) जारी किया गया परंतु अवसंरचना में कोई सारवान प्रगति सूचित नहीं की गई है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आईएमसी ने निर्धारित किया कि विकासक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा जाए कि 14 जून 2013 को जारी की गई एलओआई क्यों न निरस्त की जाए क्योंकि अब तक कोई सारवान प्रगति नहीं हुई है।

एजेंडा नंबर 28

ग्राम जट्टीपुर, समालखा, पानीपत, हरियाणा में मैसर्स कंटीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/30/2013-इनफ्रा-1)

पत्र दिनांक 1 सितंबर 2016 में विकासक ने 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 4 मार्च 2017 तक एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया।
सीमा शुल्क द्वारा धारा 7, 8 और 45 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। 11 अप्रैल 2016 को लोकेशन कोड भी जारी कर दिया गया है। विकासक गो लाइव के लिए इडीआई कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहा है।
आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 04 सितंबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 3 मार्च 2017 तक एलओआई की अवधि तीसरी बार बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 29

औद्योगिक परिसर रानीगृथ, मैसर्स कश्मीर में जे एंड के स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/37/2005-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2016 में बताया है कि आईसीडी हर दृष्टि से पूर्ण हो गया है। सीमा शुल्क आयुक्त के साथ अधिसूचना के मुद्दे को भी उठाया गया है जो अभी तक जारी नहीं हुई हैं।

विकासक की ओर से बैठक में किसी ने भी भाग नहीं लिया। आईएमसी ने विकासक को इस संबंध में नोटिस जारी करने का निर्णय लिया कि अब तक परियोजना क्रियाशील क्यों नहीं हुई है।

एजेंडा नंबर 30

अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स कंटीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/24/2015-इनफ्रा-1)

विकासक ने आईएमसी को बताया है कि उन्होंने हर दृष्टि से अवसंरचना पूरी कर ली है और क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं और यह कि वे गोलाइव के लिए ईडीआई कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

चूंकि एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अधिसूचना आदि की प्रति के साथ एलओआई की अवधि बढ़ाने के लिए विशिष्ट अनुरोध भेजने के लिए कहा गया है। तथापि, आईएमसी ने 29 अक्टूबर 2016 के बाद 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 29 अप्रैल 2017 तक दूसरी बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 31

काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में मैसर्स काशीपुर इनफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईसीडी की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/18/2012-इनफ्रा-1)

विकासक ने पत्र दिनांक 7 सितंबर 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 7, 8 और 45 के अंतर्गत आईसीडी अधिसूचित हो गया है। एलओ कोड, लागत वसूली पद का सृजन किया गया है। उन्होंने ईमेल दिनांक 22 सितंबर 2016 के माध्यम से तीन माह तक अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि ईडीआई टेस्टिंग शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।
आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 30 सितंबर, 2016 के बाद 03 माह की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर 2016 तक एलओआई की अवधि बढ़ाई।

एजेंडा नंबर 32

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सिकाल मल्टीमाडल एंड रेल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएफएस की स्थापना के लिए एलओआई की अवधि बढ़ाना (फाइल संख्या 16/19/2015-इनफ्रा-1)

चूंकि एलओआई की अवधि 13 अक्टूबर 2016 को समाप्त हो जाएगी, विकासक ने पत्र दिनांक 23 सितंबर 2016 के माध्यम से 6 माह के लिए अर्थात 13 अप्रैल 2017 तक अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि कंपनी ने साइट पर विकास कार्य शुरू किया और कार्य पूर्ण होने के लगभग कगार पर है अर्थात 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

आईएमसी ने उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया और 13 अक्टूबर, 2016 के बाद 06 माह की अवधि के लिए अर्थात 13 अप्रैल 2017 तक पहली बार एलओआई की अवधि बढ़ाई।

****